कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर जिला – जशपुर (छ0ग0)

// विज्ञापन //

क्रमाँक/ /LADCS/2025 जशपुर, दिनाँक 07.07.2025

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला जशपुर (छ0ग0) के अंतर्गत संचालित लीगल एड डिफेंस कौंसिल जशपुर के स्थापना हेतु नालसा लीगल एड डिफेंस कौंसिल सिस्टम, संशोधित स्कीम 2022 में जारी दिशा – निर्देश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र क्रमांक – 7490/एलएडीसीएस–23/2024 बिलासपुर दिनांक 11.11.2024 में दिये गये निर्देशानुसार निम्नलिखित पद में निर्धारित मानदेय पर संविदात्मक नियुक्ति किये जाने हेतु भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक **18.07.2025** के संध्या **5.00** बजे तक आमंत्रित किये जाते है।

रिक्त पदों का विवरण :–

S.No.	Human Resources for a Leagal Aid Defence Counsel Office Jashpur	No. Required	Honorariam
1	2	3	4
1	Office Assistant /Clerks	02	17,000/-
2	Office Peon (Munshi /Attendant)	02	10,000/-

महत्वपूर्ण टीप :–

1. परीक्षा/साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर, जिला जशपुर (छ0ग0) के पास सुरक्षित होगा।

भर्ती की पात्रता एवं शर्ते :–

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्ते :–

(1) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) कोई पुरूष उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पत्नी जीवित है और कोई भी महिला उम्मीदवार, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन को इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) उम्मीदवार द्वारा दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई हो, परन्तु 35 वर्ष से अधिक न हो। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट की अवधि कलेण्डर वर्ष 2025 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की

गई है।

(4) छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन रायपुर क्रमांक – .... के अनुसार अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) आवेदक किसी शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो।

उच्चतर आयु सीमा में छूट :–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–

(1) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

(2) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी वर्कचार्ज या कंटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 43 वर्ष तक रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत् कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(3) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

(4) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी, जो कि उस वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

(6) शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

(7) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा, महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट रहेगी।

(8) स्वयंसेवी नगर सैनिकों(वॉलेन्टरी होमगार्ड) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते

हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी अधिकतम आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(9) संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 4 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

(10) शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य(दृष्टिहीन, श्रवणबाधित तथा अस्थिबाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(11) आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोट :– आयु सीमा में छूट हेतु सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(12) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ठ खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता

(1) ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–

- Educational Qualification : Graduation
- Basic word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data.
- Good Typing speed with proper setting of petition
- Ability to take dictation and prepare files for presentation in the Courts,
- File maintenance and processing knowledge.

(3) ऑफिस प्यून/चपरासी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–
प्राथमिक शाला (कक्षा पॉचवीं) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण :– यदि अंकसूची में प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड अंकित है, तो अभ्यर्थी संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय से ग्रेडिंग सिस्टम को प्रतिशत में परिवर्तित कराकर प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

नियुक्ति व अवधि :–

उक्त पदों पर संविदात्मक नियुक्ति (Countractual Engagemnet) के रूप निश्चित /निर्धारित मानेदय पर ही की जावेगी, जिनका कार्यकाल नियुक्ति दिनांक से 01 वर्ष की अवधि के लिये किया जावेगा। नियुक्त किये गये स्टॉफ की उपस्थिति नियमित कार्यप्रणाली संतोषप्रद, व्यवहारिक एवं व्यवस्थित होने तथा नालसा के निर्देशानुसार कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है।

नियुक्त किये गये कर्मचारी छ.ग. शासन द्वारा वर्तमान मे संविदा कर्मचारियों के सेवा शर्तों के लिये निर्धारित परिपत्र/नियम/ शर्तों के प्रावधानों के अधीन शासित होंगे।

महत्वपूर्ण निर्देश :-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक/आवेदिका की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जॉच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अंतिम रूप से अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जावेगी।

अन्य शर्तें -

1. जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।
2. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त किया जाकर, दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
3. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।
4. कोई भी अभ्यर्थी, जिसे किसी अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
5. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर का पृष्ठा. क्रमांक-14249/डी.ई./ II-15-3/2023 दिनांक 31.10.2023 एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग(नियम शाखा) मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक-एफ-1-1/2017 /1-3 दिनांक 11.09.2023 में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया गया है, अतः कोई भी उम्मीद्वार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
6. आवेदक को अच्छा चरित्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्हता होगी।
7. उक्त पदों के अभ्यर्थियों के लिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 5वीं/8वीं/10वीं की अंकसूची, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो अथवा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
8. चयनित अभ्यर्थियों को जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर जिला जशपुर (छ0ग0) के अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत सम्पूर्ण जशपुर क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में नियुक्ति किया जा सकेगा।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें। आवेदक अपना आवेदन पत्र प्रबंध कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.) में रखे गये ड्राप बॉक्स के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **18.07.2025** की संध्या **5.00** बजे तक होगी, इसके उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर, जिला–जशपुर(छ.ग.) के शासकीय वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/jashpur** में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिए गए आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

3. आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं नवीनतम स्वप्रमाणित रगीन फोटो चस्पा होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड/वोटर कार्ड/ड्रायविंग लायसेंस/पेनकार्ड आदि की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र को निरस्त माना जायेगा।

4. आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभीजानकारी अत्यंत सावधानी पूर्वक सही एवं पूर्ण रूप से भरें। यदि आवेदन पत्र में त्रुटि या अपूर्णता पायी जाती है तो त्रुटि एवं अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना कोई सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त किया जा सकेगा। पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन प्रकाशन तिथि तक पूर्ण होनी चाहिए।

5. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता आदि से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य है।

6. ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक पद हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन्हें पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आरक्षित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। स्वयं का पता लिखा 01 लिफाफा जिसमें 10/– रूपये का डाक टिकट लगा हुआ हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।

7. डाक, कोरियर, ई–मेल, फैक्स के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

नियुक्ति हेतु चयन विधि :–

अ– ऑफिस असिस्टेंट/क्लर्क के पद हेतु–

(i) कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन स्नातक में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जावेगा। स्नातक में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर 01 पद हेतु 25 उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिये बुलाया जावेगा।

कौशल परीक्षा :–

(ii) उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द के गद्यांशों को निर्धारित समय 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक(1/2) काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक की अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंको की होगी तथा न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

ब– ऑफिस प्यून/चपरासी के पद हेतु :–

(i) ऑफिस प्यून/चपरासी के पद हेतु अभ्यर्थी की मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा।

नोट :– ऑफिस प्यून/चपरासी पद हेतु मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर, चयन हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उक्त चयन सूची के अनुमोदन उपरांत कार्यालय–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर(छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश :–

1) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर(छ.ग.) का होगा जो अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

3) चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

4) चयनित उम्मीदवारों के जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

5) यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।

6) आवेदक जिला न्यायालय की वेबसाईट https:// districts.ecourts.gov.in/jashpur से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर, परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जायेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ कॉलम में नवीनतम रगं ीन पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा एवं स्व–हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र या पेन कार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा आगामी तिथि निर्धारित कर एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

7) आवेदक परीक्षा के लिए निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्मा को स्वयं भरकर परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 01 घण्टा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होंगे। विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

8) उम्मीदवारों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा, उम्मीदवारों का पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी जिला न्यायालय जशपुर की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/jashpur तथा सूचना पटल पर चस्पा किया जायेगा, जिसे ही अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अंकित करना होगा।

9) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं।

10) कोई सारवान जानकारी छुपाये जाने पर नियुक्ति के पश्चात भी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।

स्थान :– जशपुर
दिनांक:– 07.07.2025

सही/–
अध्यक्ष
चयन समिति,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जशपुर,(छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप
कार्यालय भृत्य/(मुंशी/अटेन्डेंट)
संविदा कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति हेतु

प्रति,

कार्यालय जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण जशपुर (छ0ग0)

Photo

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)
3. लिंग पुरूष संकेतक –1 महिला संकेतक –2 :
4. पिता/पति का नाम : ....
5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
(हिन्दी में) : ....
(ब) स्थाई पता : ....
....
6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) : ....
(शब्दों में) : ....
(ब) दिनांक 01/01/2025 को आयु:......................वर्ष..................माह..............दिन
7. आवेदक का मोबाईल नंबर : ....
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल है निवासी है । हां /नहीं :
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक ....दिनांक ....
10. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

11. शैक्षणिक योग्यता : ....

क्रं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	शाला का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत/ग्रेड
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

12. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

टीप :- प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करें। प्रमाण पत्र का नाम संलग्न है/ संलग्न नहीं।

1. 5वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र ....
2. अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ....
3. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र ....
4. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र ....
5. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र ....
6. अन्य – ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठ पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/ नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर –

नाम एवं पूरा पता –

मोबाईल नं –

ई – मेल –

(मोबाईल नंबर एवं ई–मेल अनिवार्य रूप से भरे)

आवेदन पत्र का प्रारूप
कार्यालय सहायक/क्लर्क के संविदा पद पर नियुक्ति हेतु

Photo

प्रति,

कार्यालय जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण जशपुर (छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम : ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....

(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में)

3. लिंग पुरूष संकेतक –1 महिला संकेतक –2 :

4. पिता/पति का नाम : ....

5. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....

(हिन्दी में) : ....

(ब) स्थाई पता : ....

....

6. (अ) जन्म तिथि (अंको में) : ....

(शब्दों में) : ....

(ब) दिनांक 01/01/2025 को आयु:......................वर्ष..................माह..............दिन

7. आवेदक का मोबाईल नंबर : ....

8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल है निवासी है । हां /नहीं :

(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक ....दिनांक ....

10. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

11. शैक्षणिक योग्यता : ....

क्रं.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	शाला का नाम	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत/ग्रेड
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

12. स्वप्रमाणित संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

टीप :– प्रमाण पत्र नीचे दिये गये अनुक्रम में संलग्न करें। प्रमाण पत्र का नाम संलग्न है/ संलग्न नहीं।

1. 10 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र ....
2. 12 वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र ....
3. स्नातक की अंकसूची प्रमाण पत्र ....
2. अनुभव/योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र ....
3. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र ....
4. छ.ग. का स्थायी जाति प्रमाण पत्र ....
5. जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र ....
6. अन्य – ....

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठ पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/ नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक :

स्थान :

आवेदक का हस्ताक्षर –

नाम एवं पूरा पता –

मोबाईल नं –

ई – मेल –

(मोबाईल नंबर एवं ई–मेल अनिवार्य रूप से भरे)